



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 23, 2019/पौष 2, 1941

No. 393]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 23, 2019/PAUSHA 2, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2019

फा.सं. 2(2)/2018-एसपीएस.—केंद्र सरकार, “जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2019” के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए औद्योगिक विकास स्कीम शीर्षक वाले दिनांक 23 अप्रैल, 2018 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 2(2)/2018-एसपीएस और दिनांक 1 जनवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या 2(2)/2018-एसपीएस में निम्नलिखित संशोधन करती है और यह गृह मंत्रालय की दिनांक 9 अगस्त, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 2889(अ.) के अनुसार “नियत तिथि” 31 अक्तूबर, 2019 को लागू होगा।

i) स्कीम के शीर्षक को इस प्रकार पढ़ा जाएगा :-

‘जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास स्कीम, 2017

ii) स्कीम के पैरा 1 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

स्कीम को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास स्कीम, 2017 कहा जाएगा।

iii) इस स्कीम में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र शामिल होंगे।

iv) जम्मू और कश्मीर राज्य का नाम, जहां भी अधिसूचना संख्या 2(2)/2018-एसपीएस दिनांक 23.04.2018 में आया है उसे जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र पढ़ा जाए।

v) जम्मू और कश्मीर राज्य का नाम, जहां भी अधिसूचना संख्या 2(2)/2018-एसपीएस दिनांक 01.01.2019 में आया है उसे जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र पढ़ा जाए।

II) नोडल एजेंसी

दिनांक 23.04.2018 की अधिसूचना के पैरा 8 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी) जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हेतु स्कीम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के संवितरण हेतु नोडल एजेंसी होगी।

राजेंद्र रत्नू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2019

F. No. 2(2)/2018-SPS.—The Central Government hereby makes the following amendments in the Government of India Notification No. 2(2)/2018-SPS dated the 23rd April, 2018 and Notification No. 2(2)/2018-SPS 1st January, 2019 titled 'Industrial Development Scheme for the State of Jammu & Kashmir, 2017' as per "The State of Jammu & Kashmir Reorganisation Act, 2019" and will be applicable on and from the "appointed day" i.e. 31st day of October, 2019 as per Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 2889(E) dated 9th August, 2019.

i) The title of the Scheme may be read as:-

'Industrial Development Scheme, 2017 for Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh.

ii) Para 1 of the Scheme may be read as follows:-

The Scheme shall be called 'Industrial Development Scheme, 2017 for Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh.

iii) The Scheme shall cover the Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh.

iv) The name State of Jammu & Kashmir, wherever applicable in the notification no. 2(2)/2018-SPS dated 23.04.2018 may be read as Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh.

v) The name State of Jammu & Kashmir, wherever applicable in the notification no. 2(2)/2018-SPS dated 01.01.2019 may be read as Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh.

II) Nodal Agency

Para 8 of Notification No. 2(2)/2018-SPS dated 23.04.2018 may be read as follows:

The Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited (JKDFC) will be the nodal agency for disbursement of incentives under various components of the Scheme for **Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh.**

RAJENDRA RATNOO, Jt. Secy.